भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1026

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों में बाढ़

1026. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के भागों में गंगा, कोसी, महानंदा और उनकी सहायक नदियों के कारण आई बाढ़ की स्थिति के प्रबंधन और नियंत्रण से संबंधित स्वीकृत और लंबित परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गंगा, कोसी और महानंदा तथा उनकी सहायक नदियों से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने और उसका प्रबंधन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अध्ययन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क): भूमि कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों और अपनी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को सुदृढ़ करने हेतु, मंत्रालय ने बाढ़ प्रबंधन, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए XIवीं और XIIवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) कार्यान्वित किया था जो बाद में वर्ष 2017-18 से 2000-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और सीमित परिव्यय के साथ इसे सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया। इसकी शुरूआत से लेकर अब

तक बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए एफएमबीएपी के अंर्तगत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**एफएमबीएपी के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या**	**प्रारंभ से एफएमबीएपी के तहत जारी की गई केंद्रीय सहायता रू. करोड़ में।**
1	बिहार	47	924.40
2	पश्चिम बंगाल	18	1051.96
3	झारखंड	3	22.71

पिछले 3 वर्षों के दौरान, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों की वे बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं जिनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और स्वीकृत किया गया, उनका विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। इस अवधि, में दौरान झारखण्ड राज्य से कोई भी परियोजना तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु प्राप्त नहीं हुई है। सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में से, अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशों के आधार पर केवल कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर केंद्र प्रायोजित योजना के अंर्तगत वित्त पोषण हेतु विचार किया गया है। मार्च 2022 में एफएमबीएपी योजना के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु बिहार राज्य की एक परियोजना, नामत: रिवेटमेंट सहित लेफ्ट भूतही बलान तटबंध 25.00 से किमी 31.610 तक विस्तार (परसा हॉल्ट के पास घोघरडीहा से निर्मली रेलवे लाइन तक) को शामिल किया गया है।

(ख) और (ग): गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) गंगा बेसिन में बाढ़ प्रबंधन हेतु व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने और आवधिक अद्यतनीकरण के लिए उत्तरदायी है। जीएफसीसी ने कोसी, महानंदा और अन्य सहायक नदियों सहित गंगा बेसिन की 23 नदी प्रणालियों के संबंध में व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया है। इसमें की गई सिफारिशों के अनुसार कार्यान्वयन हेतु विशिष्ट योजनाएं तैयार करने हेतु इन व्यापक योजनाओं को संबंधित राज्यों को परिचालित गया है।

*****

अनुलग्नक

'नदियों में बाढ़' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1026 जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों (2020-21 से 2023-24) के दौरान सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	वर्ष	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	अनुमानित लागत रू. करोड़ में	लाभान्वित होने वाला क्षेत्र हेक्टेयर में
1	2020-21	बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना चरण III (ख)	बिहार	913.215	130900
2	2020-21	बाली टोला (नजरमीरा) से सबलपुर पछियारी टोला तक गंगा नदी के बाएं तट पर कटाव रोधी कार्य	बिहार	45.10	1553
3	2020-21	रिवेटमेंट सहित लेफ्ट भुतही बलान तटबंध का 25.00 किमी से 31.610 किमी तक विस्तार (परसा हॉल्ट के पास घोघरडीहा से निर्मली रेलवे लाइन तक)	बिहार	48.44	16900
4	2020-21	परसौरी से महिषा तक 4.60 किलोमीटर की लंबाई वाला विस्तारित सिकरहट्टा मझारी निचले बांध का निर्माण	बिहार	41.92	6500
5	2020-21	बाएं कमला बलान तटबंध पर किमी 7.38 (गांव-तेरह), किमी 36.60(गांव-रखवारी) और दाएं कमला बलान तटबंध पर किमी 40.60 (गांव-गोपालखा), किमी-47.30 (गांव-नरुआर), किमी 55.80 (काठिवार) किमी 57.50 (ग्राम ककोढ़ा), किमी 71.80 (ग्राम कुम्हरौल), और किमी 79.60 (ग्राम बाथ मनसारा) पर दरार बंद करने का काम	बिहार	74.11	72300
6	2020-21	वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड में गंगा नदी के बाएं चैनल के दाहिने तट और दाएं चैनल के बाएं तट पर विभिन्न स्थानों पर पर कटाव रोधी और पुनर्स्थापन कार्य।	बिहार	46.02	100000
7	2020-21	भागलपुर और कटिहार जिले के अंतर्गत गंगा नदी के बाएं और दाएं तट पर स्थित	बिहार	77.14	14910

		विभिन्न स्थानों पर 2020 की बाढ़ से पूर्व कटाव-रोधी कार्य।			
8	2020-21	बिहार राज्य के बक्सर, भोजपुर और पटना जिले में गंगा नदी के बाएं और दाएं किनारे पर विभिन्न बिंदुओं पर कटाव-रोधी/पुनर्स्थापना कार्य	बिहार	67.87	76200
9	2022-23	ब्लॉक और पीएस लालगोला, जिला - मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में 1830.00 मीटर की कुल लंबाई वाला बीओपी एट्रोसिया और रेनू के एओआर पर पद्मा नदी के दाहिने किनारे पर - कटाव-रोधी कार्य।	पश्चिम बंगाल	73.83	2500
10	2023-24	एलकेबीई 27.10 किमी से 66.30 किमी के बीच और आरकेबीई किमी 23.20 से किमी 64.00 के बीच लेफ्ट कमला बलान तटबंध और राइट कमला बलान तटबंध को उत्तापन, सुदृढ़ीकरण और पक्का करना चरण- I (पिपराघाट पुल से थानघा पुल)	बिहार	325.12	48000
11	2023-24	"एल.के.बी.ई. के 66.300 किमी (फटकी कुट्टी) से 92.500 किमी (पुनाच) तक और आरकेबीई के 64.00 किमी (थैंगहा) से 94.00 किमी (पलवा) तक बाएं और दाएं कमला बलान तटबंध (चरण-।।) का उत्थापन, सुदृढीकरण और पक्का करना।	बिहार	297.07	72300
12	2023-24	उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिले में मौजूदा बाढ़ प्रबंधन बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण और सुधार	पश्चिम बंगाल	496.70	586146
13	2023-24	कटिहार मनिहारी रेलवे लाइन एवं कारीकोशी तटबंध की सुरक्षा हेतु कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड के गांधीटोला के पास गंगा नदी के बाएं किनारे पर ए.ई. कार्य	बिहार	45.19	50000
14	2023-24	सिकरहना दाहिने तटबंध का निर्माण (0.00 किमी से 56.22 किमी तक)	बिहार	239.63	69606

*****